रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1978/आषाढ़ 24, 1900
No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1978/ASADHA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1978

सा०का०नि० 892.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 443(क) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा०नि०आ० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिसूचना' कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मैसर्स ओकुरा एण्ड कम्पनी लि० (जिसे इसमें इस के पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्याधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि 31 मार्च, 1978 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा :—

(क) कम्पनी द्वारा अपने मूल देश में विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत विश्व लेखे की प्रतियां। (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भारत के प्राधिकृत व्यक्ति तथा भारत के शास-प्राप्त लेखापाल द्वारा प्रमाणित, भारतीय शाखा द्वारा की गई प्राप्तियों तथा वितरणों का विवरण-पत्र ; (ग) ऊपर के पैरा (क) में वर्णित ढंग से प्रमाणित भारत में परिसंपत्तियों तथा देन

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1978

सा०का०नि० 908.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 28 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास के पत्तन के न्यासियों के मण्डल द्वारा निर्मित और तमिलनाडु सरकार के तारीख 22 मार्च, और 29 मार्च, 1978 के राजपत्र के प्रकाशित मद्रास पत्तन न्यास (पेन्शन) संशोधन विनियम 1978 नामक विनियमों का अनुमोदन करती है।

[संख्या पी०ई०एम० (32)/78]

दीवानचन्द अहीर, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 1978

G.S.R. 908.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the regulation entitled "Madras Port Trust (Pension) Amendment Regulations, 1978" made by the Board of Trustees for the Port of Madras in exercise of the powers conferred by clause (b) of section 28, of the said Act and published in the Tamil Nadu Government Gazette, dated the 22nd and the 29th March, 1978.

[No. PEM(32)/78]

D. C. AHIR, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून, 1978

सा०का०नि० 909:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में, "(श्रेणी 4 पद)" कोष्ठक, संख्या और शब्द जहां कहीं भी हो उनके स्थान पर "समूह 'घ'" शब्द और अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 12019/5/78-बी०(ए०)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 21st June, 1978

G.S.R. 909.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class IV Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1964, for the brackets figure and the words "Class IV posts)", wherever they occur the word and letter "Group 'D' " shall be substituted.

[No. 12019/5/78-B(A)]

सा०का०नि० 910.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 7 और 8 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	निदेशक (फार्म और गृह)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	1500-60-1800-100-2000 रुपए	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य/। (2) किसी विश्वविद्यालय या कालेज या किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कृषि संचार या विस्तार या शिक्षण या प्रशिक्षण के क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव (अनुभव में जन संचार या कृषि विस्तार के क्षेत्र में अनुसंधान में अनुभव की भी गणना की जाएगी)।

1	2	3	4	5	6	7	8
							(3) संचार करने की योग्यता जो प्रकाशन से प्रमाणित हो या किसी भारतीय भाषा में प्रसारण करने का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिल की जा सकेंगी। टिप्पणी 2 : अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिल की जा सकेगी यदि चयन की किसी भी अवस्था पर, संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों से अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय : (1) जन संचार या कृषि विस्तार में पी०एच०डी० की उपाधि। (2) दो या अधिक भारतीय भाषाओं का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान।

9	10	11	12	13	14
हां	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानांतरण द्वारा, और इन दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : वे संयुक्त निदेशक जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानांतरण : उन अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन समान पद धारी हों या जिनको 1300-1700 रुपए या 1100-1600 या समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर कम से कम क्रमश: 3 या 5 वर्ष की सेवा हो और सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धा-	संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य—अध्यक्ष आकाशवाणी महानिदेशक—सदस्य संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

9	10	11	12	13
			रित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	संयुक्त निदेशक (फार्म और गृह)	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	1300-1700 रु०	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य। (2) किसी विश्वविद्यालय या कालेज या किसी सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कृषि संचार या विस्तार या शिक्षण या प्रशिक्षण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव (अनुभव में जन संचार या कृषि के विस्तार के क्षेत्र में अनुसंधान में अनुभव की भी गणना की जाएगी) (3) संचार करने की योग्यता जो प्रकाशन से प्रमाणित हो या किसी भारतीय भाषा में प्रसारण करने का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हित उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिल की जा सकेंगी। टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिल की जा सकेंगी, यदि चयन की किसी भी अवस्था पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन जातियों से अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय : (1) जन संचार या कृषि विस्तार में पी०एच०डी० की उपाधि। (2) दो या अधिक भारतीय भाषाओं का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान।

9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानांतरण द्वारा, और इन दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	से फार्म रेडियो अधिकारी जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 10 वर्ष की सेवा हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहीत) पर स्थानांतरण : उन अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन समान पदधारी हों या जिनकी 1100-1600 रुपए या 650-1200 रुपए या समकक्ष वेतनमान वाले पदों में कम से कम क्रमशः 3 या 10 वर्ष की सेवा हो और सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	1. संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य—अध्यक्ष 2. आकाशवाणी महानिदेशक—सदस्य 3. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[संख्या 1/8/72-बी० (ए)]

एस०एल० टण्डन, अवर सचिव

G.S.R. 910—In exercise of the powers conferred by the proviso 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class 1 Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, for serial numbers 7 and 8 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
7. Director (Farm and Home)		1	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1500-60-1800-100-2000.	Selection	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Govt. servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential (i) Master's degree in Agriculture from a recognised University or equivalent. (ii) At least 7 years' experience in the field of agricultural communication or extension or teaching or training in a University or College or in a Government Department or Public Undertaking. (Experience of research in the field of mass communication or agricultural extension will also count towards experience). (iii) Ability to communicate as evidenced by publication or experience of broadcasting in an Indian language.

1	2	3	4	4	6	7	8
							Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: (i) Ph. D. in mass communication or Agricultural extension. (ii) Good working knowledge of two or more Indian languages.

9	10	11	12	13	14
No.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation (including short term contract) and failing both by direct recruitment.	Promotion : Joint Director (Farm and Home) with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation including short-term con-contract) Officers holding analogous posts or with atleast 3 or 5 years' service in the posts in the scale of Rs. 1300—1700 or 1100-1600 or equivalent respectively under the Central or State Governments, Universities and Public Undertakings and having the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits. (Period of deputation or contract shall ordinarily not exceed 4 years).	Member UPSC—Chairman Director General, All India Radio—Member Joint Secretary, Min. of Information and Broadcasting—Member	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

1	2	3	4	5	9	7	8
8. Joint Director (Farm and Home)	1	General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs 1300-1700	Selection	Note exceeding 40 years (Relaxable for Government servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential (i) Master's degree in Agriculture from a recognised University or equivalent. (ii) At least 5 years' experience in the field of agricultural communication or extension or teaching or training in a University or College or in a Government Department or Public Undertaking. (Experience of research in the field of mass communication or agricultural extension will also count towards experience). (iii) Ability to communicate as evidenced by publication or experience or broadcasting in an Indian language. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them Desirable: (i) Ph. D. degree in Mass communication or Agricultural extension. (ii) Good working knowledge of two or more Indian languages.

9	10	11	12	13	14
No	Two years.	By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment.	Promotion Farm Radio Officer with 10 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation (including short-term contract) Officers holding analogous posts or with at least 3 or 10 years' service in posts	1. Member, Unoin Public Service Commission —Chairman 2. Director General, All India Radio.—Member 3. Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting —Member	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission

9	10	11	12	13
			in the scale of Rs. 1100-1600 or Rs. 650-1200 or equivalent respectively in the Central or State Governments, Universities and Public Sector Undertakings and having the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits. (Period of deputation or contract shall ordinarily not exceed 3 years).	

[No. 1/8/72-B(A)]

M.L. TANDON, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 29 जून, 1978

सा० का०नि 911.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पदा निदेशालय (वर्ग 3 बाह्य काडर पद) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का नाम सम्पदा निदेशालय (वर्ग 3 बाह्य काडर पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सम्पदा निदेशालय (वर्ग 3 बाह्य काडर पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में, स्तम्भ 6 में, क्रम सं० 3 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"30 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष) की जा सकेगी।"

[फाइल सं० ए-12018/1/77-प्रशा० ख]

जी० रामचन्द्रन, उप-निदेशक

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Directorate of Estates)

New Delhi, the 29th June, 1978

G.S.R. 911.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Estates (Class III Ex-cadre Posts) Recruitment Rules, 1968, namely :

1. (1) These rules may be called the Directorate of Estates (Class III Ex-cadre Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Estates (Class III Ex-cadre Posts) Recruitment Rules, 1968 for the entry in column 6 against Serial No. 3, the following shall be substituted, namely :—"30 years and below (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants)".

[F. No. A-12018/1/77-Admn.B]

G. RAMACHANDRAN, Dy. Director

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली 13 जून, 1978

सा०का०नि० 912.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति दूरसंचार कारखानो के संगठन (तकनीकी सहायक) के भर्ती नियम, 1971 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दूरसंचार कारखाना संगठन (तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1978 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. दूरसंचार कारखाना संगठन (तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची के कालम 11 के "उम्मीदवारों को" से प्रारम्भ और "विभागीय मैरिट रैंटिंग परीक्षा पास कर ली हो" से समाप्त होने वाले शब्दों के बदले मे निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात्:—

"(9) समय-मान लिपिक

मद संख्या (1) से (8) तक के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :—

(क) साधारणतया मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास की हो

(ख) उल्लिखित वेतनमान या वेतनमानों मे 5 वर्ष तक की लगातार और सतोषजनक सेवा की हुई हो, और

(ग) तकनीकी योग्यता मूल्यांकन परीक्षा (टैकनीकल मैरिट रैटिंग परीक्षा) पास की हुई हो ।

मद संख्या (9) के अधीन आने वाले उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए :—

(क) इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीकल, दूरसंचार, इलैक्ट्रानिक्स, रसायन विज्ञान में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा सस्थान से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी० एस० सी० अथवा उसके समकक्ष परीक्षा भौतिक शास्त्र अथवा गणित अथवा दोनों में पास की हो । यदि उसने बी० एस० सी० अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिक शास्त्र और के गणित दोनों विषय नही लिए हो और इनमें केवल एक ही विषय लिया हो तो उसे किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से इंटरमीडियेट उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा कोई